

# कार्यालय

नगर परिषद लवकुशनगर  
जिला छतरपुर म.प्र.

:-सूचना का अधिकार  
अधिनियम 2005-:

## प्राक्कथन

लोकतंत्र में शासन जनता का होता है, और उसे जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धान्त पर आधारित है। शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। संविधान की यह मान्यता है कि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की इच्छा व आकांक्षा के अनुरूप संविधान सम्मत शासन का संचालन व नीतियों का निर्धारण इस प्रकार हो कि, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासन को हर स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है। यह तभी संभव है, जब नागरिकों को शासन व उसके अधीन समस्त प्रशासनिय इकाइयों के क्रिया कलापों की उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो, जो उनसे जुड़ी हैं, या जो जनहित में आवश्यक हो।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2003 में राज्य शासन ने मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 क्रमांक 3 सन 2003 पारित किया व अब केन्द्र शासन द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है।

नगर परिषद लवकुशनगर मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत गठित एक निगमित निकाय है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक "लोक प्राधिकारी" है। नगर पालिका परिषद के कार्य व कर्तव्य नागरिकों से सीधे जुड़े हुए हैं। अतः नागरिकों को नगर व नागरिकों के लिये निर्धारित की जाने नीति, स्वीकृत योजनाएं व नगर पालिका व उसके अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य तथा कार्यप्रणाली की समग्र जानकारी नागरिकों को एक स्थान पर प्राप्त हो सके इसी उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4 में वर्णित समस्त जानकारी समाहित करते यह हस्त पुस्तिका तैयार की गई है।

इस हस्तपुस्तिका में अंकित जानकारी व सूचना से अधिक जानकारी या किसी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

## अध्याय—एक

### अपने संगठक की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्त्तव्य

नगर परिषद लवकुशनगर जिला छतरपुर की स्थापना दिनांक—21.12.1978 में की गई। वर्तमान में प.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 व उसे अंतर्गत बनाये गये नियमों से वह अपने कर्त्तव्यों को सम्पादित कर रही हैं।

परिषद के मुख्य कर्त्तव्य व कार्यों का विवरण नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिर्दिष्ट हैं। जो निम्नानुसार हैं:—

- (क) सार्वजनिक पथो, स्थानों तथा भवनों को प्रकाशित करना,
- (ख) सार्वजनिक पथो, स्थानों तथा मल—नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों और जो सार्वजनिक उपभोग के लिये खुलु हों, भले ही ऐसे स्थान परिषद में निहित हों या न हों, हानिकारक घासपात को हटाना और समस्त सार्वजनिक न्युसेस का उपशमन करना,
- (ग) विष्ठा तथा कूड़ा करकट का व्ययन करना और विष्ठा तथा कूड़ा करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करना,
- (घ) आग बुझाना और आग लग जाने की दशा में जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना,
- (ङ.) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियम या उपशमन करना,
- (च) सार्वजनिक पथों या स्थानों में से तथा ऐसे स्थलों में से, जो प्राइवेट सम्पत्ति न हो, और जो सर्वसाधारण के उपभोग के लिए खुलु हो, भले ही ऐसे स्थल परिषद में निहित हो या राज्य सरकार में निहित हो, बाधाओं तथा प्रक्षेपित भागों को हटाना,
- (छ) मृतको की अन्त्येष्टि के लिए स्थान अर्जित करना, उनका अनुरक्षण करना, उनमें तब्दीली तथा उनका विनियमन करना,
- (ज) महामारी या अन्य अकल्पित आपात—स्थिति में मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए ऐसे विशेष उपाय करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस सम्बंध में निदेश देने के लिए सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाए,
- (झ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना तथा अस्वास्थ्यकर परिक्षवा का पुररुद्धार करना,
- (ञ) सार्वजनिक पथो, पुलियो, नगर पालिका के सीमा—चिन्हां, मण्डिया, हाटो, वधशालाओं, शौचालयों, संडासों, मुत्रालयों, नालियों, मल—नालियों, जल निकास—सकर्मो, मलनाली से संबंधित संकर्मो, स्नानगृहों, धुलाई के स्थानो, पीने के पानी के नलो, तालाबों, कुओं, बांधो तथा उसी प्रकार के अन्य संकर्मो का निमार्ण करना, उनमें परिवर्तन करना और उनका अनुरक्षण करना,
- (ट) काजी हाउसों की स्थापा करना तथा उनका प्रबंध करना और जहां पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का सं. 1) प्रवर्तन में हो वहां उस अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17 तथा 19 के अधीन राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्य करना,

- (ठ) जल के वर्तमान प्रदाय के अपर्याप्त तथा अस्वास्थ्यकर होने के कारण निवासियों तथा घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त जल प्रदाय या अतिरिक्त जलप्रदाय को जब तक ऐसा प्रदाय या अतिरिक्त प्रदाय युक्तियुक्त खर्च से प्राप्त किया जा सकता हो, प्राप्त करना और ऐसे जल का नियतकालिक रूप से सूक्ष्म परीक्षण करना,
- (ड) पथों तथा उद्यानों का नामकरण करना तथा मकानों को संख्याकित करना,
- (ढ) जन्म, विवाह तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना,
- (ण) सार्वजनिक, टीके लगाना,
- (त) किन्हीं भी ऐसे बछड़ो, गायों या भैसों के लिए, जो पशु टीके(लिम्फ) के प्रदाय के लिए नगर पालिका की सीमाओं के भीतर अपेक्षित हों, उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना,
- (थ) पशुओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसे अन्तरालों से जो विहित किए जाएं, कृषि उपयोगी पशुओं की गणना,
- (द) ऐसे उपाय करना जो संक्रामक रोगों के पैदा होने या फेलने या उनकी पुरनावृत्ति होने से रोकने के लिये अपेक्षित हों,
- (ध) नगर पालिका के प्रशासन पर ऐसी वाषिक रिपोर्ट तैयार करना जैसी राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे (रिपोर्ट को ) प्रस्तुत करने के लिए परिषद से अपेक्षा करें,
- (न) ऐसे प्रकार के तथा ऐसी स्थिति में, जिसका कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाए, मजबूत सीमा चिन्हों का निर्माण करना जो नगर पालिका की सीमाओं या उनमें किसी परिवर्तन को परिनिश्चित करते हों,
- (प) परिषद के सफाई कर्मचारीवृन्द के लिए आवास गृहों का सन्निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (फ) प्राथमिक शालाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना, इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद अधिनियम की धारा 124 के खण्ड (क) से (फ) में उल्लेखित निम्न विषयों के लिए नगर पालिका की स्थाई व निधि से विवेकानुसार व्यवस्था कर सकती हैं।

## धारा 124 (क) से (फ)

- (क) अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुररूद्धार करना, ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें पूर्व में निर्माण हुआ हो या नहीं— नए सार्वजनिक पथों का अभिन्यास करना तथा उस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करना, जिसमें ऐसे मार्गों से संस्पर्शी भवन के लिए भू-खण्ड सम्मिलित होंगे,
- (ख) सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों, खेल के मैदानों तथा खुले स्थलों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, पागलखानों, सभा भवनों, कार्यालयों, धर्मशालाओं, विश्रामगृहों, तथा अन्य सार्वजनिक भवनों का सन्निर्माण करना, उनकी स्थापना करना या उनका अनुरक्षण करना,
- (ग) शैक्षणिक उद्देश्यों को अग्रसर करना,
- (घ) सड़क के किनारों तथा अन्य स्थानों पर वृक्षारोपण तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (ङ) सार्वजनिक पथों तथा स्थानों पर जल छिडकना, (च) चौराहों, उद्यानों या सार्वजनिक समागम के अन्य स्थानों में संगीत की व्यवस्था करना,
- (छ) स्थानीय प्रयोजनों के लिए जनगणना करना और ऐसी जानकारी के हेतु, जिससे जन्म-मृत्यु संबंधी आंकड़ों का ठीक-ठाक रजिस्ट्रीकरण हो सके, पुरस्कार देना,
- (ज) सर्वेक्षण करना,
- (झ) किसी वैतनिक या अवैतनिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय को बनाए रखने के लिए आनुषंगिक वेतन तथा भत्ते, भाड़े तथा अन्य खर्चे या ऐसे किन्हीं भी खर्चों के किसी भाग का संदाय करना,
- (ञ) ऐसे कुत्तों तथा सुअरों का विनाश या निरोध करना, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियमिती के अधीन विनाश किया जा सकता हो या जिन्हें निरोध में रखा जा सकता हों,
- (ट) इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट खतरनाक तथा घृणोत्पादक व्यापारों को चलाने के लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना,
- (ठ) प्राइवेट परिसरों पर या उनके उपयोग के लिए उनका मलमूत्र परिषद् के नियंत्रणाधीन मल-नाली में इकट्ठा करने तथा उसे बहाकर ले जाने के लिए पात्रों, फिटिंगों, नलों तथा अन्य प्रकार के साधित्रों का, चाहे जो भी हो, प्रदाय, निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (ड) मलमूत्र के व्ययन के लिए फार्म या कारखाना स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना,
- (ढ) नगर पालिका के कर्मचारियों के या उनके किसी वर्ग के तथा उनके आश्रितों के लिए किये जाने वाले कल्याण कार्यों की अभिवृद्धि करना,
- (ण) सफाई कर्मचारीवृन्द से भिन्न परिषद् के किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करना,
- (त) निर्धन वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्वच्छ निवासगृह का निर्माण करना,
- (थ) पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों सहित शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों औषधालयों या इसी प्रकार के संस्थाओं के, जो सार्वजनिक चिकित्सा सहायता प्रदान करती हो या सामाजिक, कार्य में लगी हो या पूर्त प्रकृति संस्थाओं के निर्माण, उनकी स्थापना या उनके अनुरक्षण हेतु भिदाय करना,
- (द) चारागाह या चराई के स्थानों का अर्जन करना तथा अनुरक्षण करना और डेरी फार्मों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना और अभिजनन सांड रखना तथा उनका

- भरण—पोषण करना,
- (ध) नगर पालिका क्षेत्र के निवासियों के फायदे के लिए दुग्ध के उत्पादों के प्रदाय, वितरण तथा प्रसंस्करण के लिए डेरियों या फार्मों की स्थापना,
- (न) विशेषतः गर्भिणी तथा स्तनपान कराने वाली माताओ, बच्चो, तथा अशक्तों के उपयोग के लिए मलाई युक्त या मलाई रहित दुग्ध, संघनीकृत दुग्ध, वाष्पीकरण द्वारा नमीरहित किया गया दुग्ध, दुग्ध चूर्ण तथा कृत्रिम या सोयाबीन दुग्ध प्राप्त करना और निःशुल्क या कम मूल्य पर वितरित करना,
- (प) वासगृहों तथा भोजनालयों की व्यवस्था करना तथा उन्हें चलाना,
- (फ) भोजन गृह, जैसे जलपान गृह, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, उपहार—गुह, कैफे स्वल्पाहार गृह, होटल तथा ऐसे स्थान स्थापित करना तथा उन्हें चलाना जहाँ खाद्य पेय पदार्थ दिए जाते हों,
- (ब) शेडो, छपरों(बूथ्स) तथा अन्य सुविधाओं सहित सार्वजनिक स्नान—गुहों या तैरने के तालाबों की व्यवस्था करना तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (भ) किसी भी वाणिज्यिक उद्यम का जिम्मा लेना,
- (म) ऐसी सड़को तथा ऐसे भवनों का और सिंचन संकर्मों से भिन्न ऐसे अन्य सरकारी संकर्मों का, जिन्हें राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार परिषद को अंतरित करे, निर्माण करना तथा अनुरक्षण करना,
- (य) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी पागलखाने, कुष्ठाश्रम, चिकित्सालय या मकान में ऐसे पागलों तथा कुष्ठरोगियों के, जो नगर परिषद क्षेत्र में रहते हो या नगर परिषद क्षेत्र से हटाये गए हों, भरणपोषण की तथा उपचार की व्यवस्था करना,
- (कक) पागलों, कुष्ठ रोगियों तथा उन व्यक्तियों को जिनका अलर्कविरोधी(एण्टीरेबिक) उपचार होना आवश्यक हो, उनके उपचार के लिए स्थापित पागलखाने, कुष्ठाश्रम, चिकित्सालय या मकान में, चाहे वह नगर परिषद की सीमाओं के भीतर हों या बाहर, भिजवाने की व्यवस्था करना,
- (गग) मेले तथा प्रदर्शनीयुक्त मेले लगाना,
- (घघ) पशु औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (डड) नगर परिषद के भीतर ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्वागत समारोह उत्सव,, मनोरंजन या प्रदर्शनी का आयोजन करना, जिसमें उस रकम से अधिक रकम खर्च न हो जो नियमों द्वारा इस विहित की गई हो, परन्तु यह जबकि, परिषद द्वारा उस निमित्त साधारण सम्मिलन में एक संकल्प पारित कर दिया जाए—
- (चच) अन्यथा उपबंधित न किया गया कोई भी ऐसा विषय जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा जनता की सुविधा का उन्नयन सम्भव हों,
- (छछ) चिकित्सालयों, तथा औषधालयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना,
- (जज) दरिद्रालयों की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना, और
- (झझ) नगरीय योजना जिसके अंतर्गत नगर योजना भी हैं,
- (जज) भूमि अपयोग का विनियम और भवनों का निर्माण,
- (टट) आर्थिक और सामाजिक विकास योजना,
- (ठठ) नगरीय वानिकी पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि,
- (डड) समाज के दुर्बल वर्गों में जिनके अंतर्गत विकलांग और मंद व्यक्ति भी हैं हितों की रक्षा,
- (ढढ) नगरीय निर्धनता उन्मूलन,

(णण) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से कोई भी अन्य कार्य करना ।

लोक प्राधिकारी का संगठनात्मक ढांचा संलग्न प्रपत्र – 'क' में दर्शाया गया है ।  
विभिन्न विभागों के कार्यों व कर्त्तव्यों का विवरण प्रपत्र 'ख' में तथा पदाधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्यों को प्रपत्र 'ग' में दर्शाया गया है ।

(ख)

## नगर पालिका के प्रत्येक विभाग के कार्य एवं कर्त्तव्य

अ. क्र.	विभाग	कार्य
01	सामान्य प्रशासन विभाग	<p>लोक प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन की सुचारु व्यवस्था एवं संचालन तथा लेखाओं के संधारण का यह विभाग उत्तरदायी है। उसके प्रमुख कार्य एवं कर्त्तव्य निम्नानुसार हैं:-</p> <p>प्रशासन:-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. कार्यालय की समुचित व्यवस्था।</li><li>2. अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति,</li><li>3. अवकाश कार्य विभाजन।</li><li>4. कार्यालयीन पत्र-व्यवहार का संधारण,</li><li>5. नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण</li><li>6. रिकार्ड— पत्रों का आवक-जावक,</li><li>7. पंजीकरण व निरस्तीकरण।</li><li>8. परिषद, प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल परामर्श दात्री समितियों के सम्मेलन की सूचना उसके कार्यवृत्तो का संधारण उसके द्वारा वांछित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करना व उनके निर्णयों के क्रियान्वयन व पालन हेतु संबंधित विभाग अधिकारियों को प्रेषित।</li><li>9. कार्यालयीन निरीक्षण व पर्यवेक्षण।</li><li>10. वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों का पालन।</li></ol>
		<p><b>लेखा-</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. निकाय के करों, शुल्को अनुज्ञा शुल्को व अन्य मदों में कर्मचारियों द्वारा वसूल या प्राप्त की गई हैं, की जाँच कर प्राप्त कर निर्धारित रोकड पुस्तक में अंकित करना व कोषालय या बैंक में जमा करना।</li><li>2. निकाय द्वारा किये जाने वाले समस्त भुगतान की जाँच करना व सुनिश्चित करना कि सम्पादित कार्य/क़य या व्यवहार की सक्षम स्वीकृति हैं। बजट प्रावधान हैं, स्टॉक रजिस्टर या लेजर बुक में प्रविष्टी हैं, व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान करना व उसका लेखा निर्धारित लेखा पुस्तिका में संधारित करना।</li><li>3. मासिक, त्रैमासिक वार्षिक लेखाओं को तैयार करना व विनिर्दिष्ट अधिकारियों को भेजना।</li><li>4. वार्षिक आय-व्यय अनुमान पत्रक तैयार करना।</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. समस्त प्रतिभूतियों, अमानतो, अग्रिमों के लेखों का संधारण ।</li> <li>6. ऋण एवं अनुदान से प्राप्त समस्त राशियों को लेखाओं का संधारण ।</li> <li>7. जनसहयोग या स्वेच्छिक अभिदाता द्वारा प्राप्त राशियों का लेखा निधारण प्रारूप रजिस्टर में रखना ।</li> <li>8. प्राधिकरण के सम्पूर्ण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण ।</li> <li>9. लेखाओं का अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों का निराकण ।</li> </ol>
02	राजस्व विभाग	<p>प्राधिकरण के राजस्व विभाग का मुख्य कार्य एवं कर्तव्य निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों शुल्को, एवं अन्य प्रभार तथा नगर पालिका मार्केट्स, स्लाटर हाउस एवं अस्थायी एवं स्थायी लीजरेंट तथा भूमि किराया-प्रिमियम आदि से संबंधित अभिलेख विहित प्रारूप में संधारण एवं वसूली करना हैं, इन कर्तव्यों की पूर्ति हेतु उसके द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जाते हैं—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. सम्पत्ति कर, सफाई कर, जलकर, प्रकाश का, शिक्षाकर एवं अन्य सभी करों, जिनकी कर निर्धारण सूची वार्षिक तैयार की जाती हैं, उनकी कर निर्धारण रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में तैयार करना ।</li> <li>2. निकाय द्वारा आरोपित सम्मस्त करों व शुल्कों की शीघ्र वसूली करना ।</li> <li>3. करों शुल्कों व अन्य देयक राशियों की वसूली हेतु निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संख्या में रसीद बुको की व्यवस्था उसके संशय व समाप्त होने पर वापस जमा करना, सुनिश्चित करना ।</li> <li>4. राजस्व विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा वसूल की गई राशि का यथा समय नगर पालिका कोष में जॉच उपरांज जमा करना व उसका पर्यवेक्षण करना ।</li> <li>5. राजस्व विभाग द्वारा जारी रसीदों का मुल रसीदों से कम से कम 10 प्रतिशत रसीदों को मिलान व सत्यापन करना ।</li> <li>6. नगर पालिका मार्केट, दूकाने, भूमि व अन्य संपत्ति के आवंटन हेतु सार्वजनिक घोष या टेण्डर्स आदि की कार्यवाही । अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अनुरूप करना, व संबंधित अनुबंधों का निष्पादन सुनिश्चित करना ।</li> <li>7. बकाया करों व शुल्कों व किराये की वसूली हेतु अधिनियम के प्रावधानुसार बिल मांग सूचनापत्र व वारंट जारी करना व उनकी तामीली सुनिश्चित करना ।</li> </ol>

		<p>8. कांजी होस की व्यवस्था व वसूली पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण।</p> <p>9. विहित प्रारूपों में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या निर्धारित सामयिक पत्रको में करो आदि की वसूली की जानकारी विहित अधिकारी को देना।</p>
03	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	<p>लोक प्राधिकरण के इस विभाग का दायित्व नागरिकों को चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बिमारियों की रोक थाम, नगर की सफाई कचरा व ठोस अपशिष्टों का निपटान, ड्रेनेज व नालियों की सफाई आदि की व्यवस्था करना हैं। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु वह निम्न कार्यो को सम्पन्न करना हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जन-स्वास्थ्य के लिये वेक्सीनेशन की व्यवस्था।</li> <li>2. महामारी के समय प्रतिबंधात्मक उपाय, दवाइयों का वितरण व चिकित्सीय व्यवस्था।</li> <li>3. पशुवध गुह, होटलों आदि का निरीक्षण।</li> <li>4. खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों की जाँच।</li> <li>5. नगरीय क्षेत्र की सड़को, नालो व नालियों की सफाई</li> <li>6. सार्वजनिक शौचालयों, मुत्रालयों (सुलभ शौचालयों) का निर्माण।</li> <li>7. शुष्क शौचालयों को शौचालय में परिवर्तन।</li> <li>8. शुद्ध पर्यावरण हेतु उद्यानो का निर्माण, रखरखाव व वृक्षारोपण।</li> <li>9. केन्द्र एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं हेतु सर्वे, रजिस्ट्रीकरण एवं हितग्राहियों को सहायक वितरण।</li> </ol>
04	लोक निर्माण विभाग	<p>अधिकरण के इस विभाग के निम्न कार्य व कर्त्तव्य हैं।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. नगर विकास से संबंधित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण कार्यो का संपादन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।</li> <li>2. नगर के सुनियोजित विकास की दृष्टि से कालोनियों के विकास की नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत वांछित स्वीकृति, भवन निर्माण की अनुमति दी जाना।</li> <li>3. जन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक भवनो, सार्वजनिक सड़को, फुटपाथो व खुली भूमियों से अतिक्रमण हटाने</li> <li>4. बिना अनुमति एवं अनुमति के विरुद्ध निर्माण कार्यो को हटाना व उनके विरुद्ध विधानांतर्गत कार्यवाही करना।</li> </ol>
05	जल कार्य विभाग	प्राधिकरण का जल कार्य विभाग निम्न कर्त्तव्य व

		<p>कार्यों को सम्पन्न करना है—</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जल प्रदाय की सम्पूर्ण व्यवस्था—इन्टेकवेल—फिल्टर प्लांट, स्टोरेज, सप्लाय का संधारण एवं पर्यवेक्षण।</li> <li>2. मुख्य व वितरण पाईप लाईन का संधारण परिवर्धन, परिवर्तन।</li> <li>3. पब्लिक स्टेण्ड का संधारण।</li> <li>4. जलकष्ट की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था टैंकर्स व अन्य साधनों से सुलभ कराना।</li> <li>5. व्यक्तिगत नल कनेक्शन की स्वीकृति व उनका पर्यवेक्षण।</li> <li>6. नगर पालिका के स्वामित्व व सार्वजनिक जलस्रोतो, तालाबो, कुओं आदि का संधारण।</li> </ol>
06	कर्मशाला विभाग	<p>इस विभाग का कार्य नगरीय निकाय के वाहनों, मशीनो व पम्पो आदि के संधारण व मरम्मत की व्यवस्था करना हैं, साथ ही वाहनों के लिये चालक परिचालक, क्लीनर आदि स्टाफ की उपस्थित, अवकाश आदि का नियंत्रण भी इस विभाग के जिम्मे रहता हैं।</p>
07	अग्निशामक विभाग	<p>कार्य एवं कर्त्तव्य</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अग्निशामक वाहनों का संधारण।</li> <li>2. आग की स्थिति अग्निशामक की त्वरित व्यवस्था।</li> <li>3. आपात स्थिति में प्रशासन व नागरिकों की सहायता।</li> </ol>
08	शिक्षा विभाग	<p>शिक्षा विभाग के कार्य</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. बाल मंदिरो की स्थापना व संचालन।</li> <li>2. झूलाघरों की स्थापना व संचालन।</li> <li>3. म.प्र. नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा शर्ते) नियम 2005 के प्राधानुसार शिक्षको की नियुक्ति।</li> </ol>

## अध्याय—दो

### प्राधिकरण के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य व शक्तियों

#### प्रपत्र—ग

क्र.	नाम पदाधिकारी	शक्तियाँ	कर्त्तव्य
1.	नगर परिषद लवकुशनगर	1. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रदत्त प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियाँ।	1. अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य।
2.		आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करना।	2. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति।
3.		अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति।	3. परामर्श दात्री समिति का निर्वाचन।
4.		करारोपण एवं शुल्कों की स्वीकृति	4. धारा 109 के प्राधानान्तर्गत नगर पालिका संपत्ति का अंतरण।
5.		सम्पत्ति कर हेतु वार्षिक भाडा मूल्य का निर्धारण	5. अधिनियम के प्रयोजनों हेतु ऋण लेने की शक्ति।
6.		प्रायवेट पथ को सार्वजनिक पथ घोषित करने की शक्ति	6. वार्षिक आय—व्यय की स्वीकृति।

7.	सार्वजनिक पथों को नियमित लाईन का निर्धारण	7.	क. नगर पंचायत की दशा में 5 लाख से 50 लाख तक के कार्यों की वित्तीय स्वीकृति।			
8.	मण्डी (मार्केट) की स्थापना		अ नु. क्र.	प्राधिकारी	नगर पालिका परिषद	नगर परिषद
9.	आदर्श दुग्ध उद्योग की स्थापना		01	02.	03.	04.
10.	धारा 307 के अंतर्गत अपील सुनने		1.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	रुपये पचास हजार तक	रुपये पच्चीस हजार तक
11.	परिषद की ओर से विधिक कार्यवाही		2.	अध्यक्ष	रुपये पचास हजार से अधिक किन्तु रुपये तीन लाख से अनधिक	रुपये पच्चीस हजार से अधिक किन्तु रुपये एक लाख से अनधिक
12.	परिषद की ओर से अभियोजन की स्वीकृति		3.	प्रेसीडेंट इन काउंसिल	रुपये तीन लाख से अधिक किन्तु रुपये दस लाख से अनधिक	रुपये एक लाख से अधिक किन्तु रुपये पांच लाख से अनधिक
			4.	परिषद	रुपये दस लाख से अधिक किन्तु रुपये दो करोड से अनधिक	रुपये पांच लाख से अधिक किन्तु रुपये पचास लाख से अनधिक
			5.	आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास	रुपये दो करोड से अधिक किन्तु रुपये चार करोड से अनधिक	रुपये पचास लाख से अधिक किन्तु रुपये चार करोड से अनधिक
13.	अधिनियमों से प्रयोजनों हेतु उपविधियों का निर्माण		6.	मध्यप्रदेश	रुपये चार	रुपये चार

				शासन	करोड से अधिक	करोड से अधिक
2.	प्रेसीडेंट इन काउंसिल	1.	धारा 94 (1)(2)(6) के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति एवं दण्ड	1.	94 (1), (2) व (6) के अंतर्गत आनेवाले पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति।	
		2.	500/- से अनाधिक वार्षिक भाड़ा मूल्य एवं प्रिमियम को स्था/संपत्ति को भाडे पर की स्वीकृति	2.	धारा 109 व संबंधित नियमों अंतर्गत स्थाना/संपत्ति का अंतरण।	
		3.	वित्तीय शक्तियाँ ग. नगर पंचायत की दशा में रू. 25 हजार से अधिक 5 लाख तक।	3.	वित्तीय अधिकार की सीमा तक निर्माण कार्य/खरीदी की स्वीकृति।	
		4.	अधिनियम की धारा 93(1) 94(1)(2),121(1), 126, 160,168(7),228, 235,237,238,243,244,245,247,248,249,253(1)(3),255(1),261,262 (1)(3),263,265,267,272,273,274, 281 वे अंतर्गत प्राप्त शक्तियाँ।	4.	कालम 2 के खण्ड (4) में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही।	

3.	अध्यक्ष	1.	परिषद की बैठक की अध्यक्षता व संचालन एवं विनियम,	1.	परिषद के निर्णयों का निष्पादन व संचालन।
		2.	अधिनियम की धारा 183(5),184, 186, 190, 203, 205,206, 207, 209, 210, 211,218, 219, 268 एवं 283 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ।	2.	परिषद की 184,185 वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी।
		3.	आपात काल में परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यों के निष्पादन व व्यय की स्वीकृति।	3.	कार्यपालक प्रशासन, परिषद के लेखाओं, अभिलेखों से संबंधित कार्यों व कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण।
4.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	1.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति व दण्ड	1.	नगर पालिका समस्त कार्यपालिक एवं वित्तीय प्रशासन पर निगरानी।
		2.	सफाई कर व अन्य करों की कर निर्धारण सूची तैयार करना	2.	नगर पालिका की ओर से पत्राचार।
		3.	कर निर्धारण आपत्तियों का निराकरण	3.	परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों का अधिनियम व उसके अंतर्गत वन नियमों अनुसार पालन।

		4.	करों व भाडे की वसूली हेतु वित्तीय बिल, मांग सूचना पत्र, वारंट जारी करने की शक्ति	4.	अधिनियम की धारा 180 (1)(2), 185, 187-ए, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200(2) 204, 208, ,213, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 239, 241, 242, 246, 250, 251, 252 एवं 285।
		5.	वित्तीय शक्तियाँ ग. नगर पंचायत की दशा में रु.25,000 तक के कोई खरीदी की स्वीकृति।		
		6.	अन्य शक्तियां जो परिषद/प्रेसिडेन्ट इन काउंसिलि द्वारा प्रदत्त या प्रत्यायोजित की जावें।		
		7.	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंगत निर्माण कार्यों की स्वीकृति।		



## अध्याय—तीन

विनिश्चय/निर्णय किए जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और [निगरानी/पर्यवेक्षण](#) तथा जवाबदेही के माध्यम/सरणी

### 1. परिषद:—

प्रेषककर्त्ता—मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष अथवा प्रेसिडेंट इन काउंसिल के अनुमोदन से।

निर्णयकर्त्ता—परिषद

अपील/परीक्षण—शासन

2. प्रेसिडेंट इन काउंसिल—प्रेषककर्त्ता—मुख्य नगर पालिका अधिकारी निर्णयकर्त्ता—प्रेसिडेंट इन

काउंसिल अपील/पुनरीक्षण—परिषद/संचालक

विभाग	प्रकरण प्रारंभकर्ता कर्मचारी	डिलींग कर्मचारी	अधिकारी जिसके माध्यम से निर्णय हेतु प्रस्तुत होता है	निर्णयकर्ता अधिकारी	निगरानी पर्यवेक्षण अधिकारी	प्राधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी
1	2	3	4	5	6	7
नगर परिषद लवकुशनगर	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	संबंधित लिपिक	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	मुख्य नगर पालिका अधिकारी / प्रेसिडेंट इन काउंसिल एवं परिषद	कलेक्टर / संभागीय उपसंचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास	संबंधित शाखा प्रभारी

## अध्याय—चार

प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड/ प्रतिमान

**क.** अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्न मानदण्ड एवं समय सीमा निर्धारित की गई—

### अध्याय—चार (ख)

प्राधिकारी के कृत्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड/प्रतिमान सीटीजन चार्टर

1. करों की वसूली के	समस्त कर	वित्तीय वर्ष की शत प्रतिशत
2. योजना कार्यों के लिए	(1) मु.मं.शहरी पेयजल योजना (2) मु.मं. शहरी स्वच्छता मिशन अंतर्गत 1178 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण (3) सी.सी. रोड़ एवं रैनबसेरा निर्माण कार्य।	अंकित समय सीमा
3. बजट में प्रावधानित निर्माण कार्य	बस स्टैण्ड पर रैन बसेरा निर्माण कार्य	वित्तीय स्थिति अनुसार

## अध्याय पाँच

नगर परिषद के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों/कर्मकारों/नियोजितों के द्वारा उपयोग किये गई नियमों, विनियमों, अनुदेशों मुन्युअल्स और अभिलेख

### अधिनियम

1. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961,
2. अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियम,
3. म.प्र. मूलभूत नियम,
4. म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1971
5. म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966
6. म.प्र. सिविल भविष्य निधि नियम 1955
7. म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965
8. म.प्र. भूमि विकास नियम
9. कांजी हाउस एक्ट
10. नगर पालिकाद्वारा बनाई गई उपविधियां।
11. परिपत्र—
  1. म.प्र. सामान्य प्रशासन पुस्तक परिपत्र
  2. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र एवं निर्देश,

## अध्ययाय छः

लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

क्रमांक	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का स्वरूप	समाहित जानकारी	दस्तावेज की समय सीमा
1	2	3	4	5
1	कार्यवृत्त पुस्तिका	रजिस्टर	बैठक कार्यवृत्त	नष्ट की जाती हैं
2	(क) परिषद (ख)स्थायी समिति / प्रेसीडेंट इन कौंसिल	रजिस्टर	---"---	---"---
3	वार्षिक प्रतिवेदन	पंजी	प्रतिवेदन	
4	स्टाक तथा भंडार पंजिया	पंजी	कय की गई सामग्री का विवरण	
5	अचल संपत्ति की पंजी	रजिस्टर	न.पा. की अचल संपत्ति	
6	भविष्य निधि अभिलेख	रजिस्टर	कर्मचारियों के भविष्य निधि की जानकारी	
7	जन्म मृत्यु तथा विवाहों की पंजी	रजिस्टर	जन्म मृत्यु/विवाह संबंधी जानकारी	
8	वेतन बिल	वेतन पत्रक	कर्मचारियों के वेतन वितरण संबंधी जानकारी	32 वर्ष

9	रोकडिया रोकड़	रोकडिया रोकड़	जमा राशि की जानकारी	25 वर्ष
10	छुट्टी तथा प्रतिनियुक्ति	रजिस्टर	कर्मचारी की छुट्टी / प्रतिनियुक्ति	---"---
11	स्थायी अग्रिम लेख	रजिस्टर	अग्रिम की जानकारी	---"---
12	नगर पालिका रोड	रजिस्टर	आय-व्यय की जानकारी	---"---
13	प्राप्तियों की नगद संक्षेप पंजी	लेजर रजिस्टर	आय की जानकारी	---"---
14	व्यय की संक्षेप पंजी	व्यय की लेजर	व्यय की जानकारी	---"---
15	स्थापना पंजी	रजिस्टर	स्थायी स्थापना की जानकारी	---"---
16	अवकाश पंजी	रजिस्टर	अवकाश संबंधी जानकारी	---"---
17	समायोजन पंजी	रजिस्टर	समायोजन की जानकारी	12 वर्ष
18	अमानत व अग्रिम पंजी	रजिस्टर	अग्रिमों की जानकारी	---"---
19	प्रतिभूति पंजी	रजिस्टर	प्रतिभूतियों की जानकारी	12 वर्ष
20	ऋण पंजी	रजिस्टर	प्राप्त ऋणों की जानकारी	---"---
21	समस्त मांग संग्रहण पंजी व रसीद बुके	रजिस्टर	कर संग्रहण की जानकारी	6 वर्ष

22	समस्त फीस पंजीया	रजिस्टर	लायसेंस फीस	---"---
23	कांजी हाउस पंजी व अभिलेख	रजिस्टर व पजी	कांजी हाउस की जानकारी	---"---
24	लेखा परीक्षण टिप्पणी	पंजी	परीक्षण टीप व पत्र व्यवहार	---"---
25	चालान, विवध बिल व रसीद बुके व लेखा विभाग के अन्य प्रकरण	फार्म व बुक	वसूली व जमा की जानकारी	4 वर्ष
26	निर्माण कार्यो के बिल/प्रमाण पत्र माप पुस्तिका	फार्म, बिल बुक	निर्माण कार्यो संबधी जानकारी	---"---
27	मस्टर रोल	प्रपत्र	मजदूरी भुगतान	4 वर्ष
28	बजट अनुमान	प्रपत्र	बजट	4 वर्ष
29	आवेदन पत्र/पत्राचार	नस्ती	संबंधित प्रकरण की जानकारी	नियमानुसार निर्धारित अवधि

## अध्याय सात

म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 में नगर पालिका परिषद के नीति निर्धारण एवं उसके परिपालन/क्रियान्वयन में लोक प्रतिनिधित्व देने के संबंध में व्यवस्था की निम्न विष्टिया हैं, जिसके अन्तर्गत नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों (पार्षदों) तथा सामान्य नागरिकों का परामर्श प्राप्त होता है।

1. नगर पालिका परिषद द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीति व कार्य व उनका क्रियान्वयन पार्षदों के बहुमत से लिये गये निर्णय से किया जाता है।
2. नगर पालिका अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत मेयर इन काउंसिल के गठन का प्रावधान है।

(क) प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल का गठन—

1. प्रत्येक परिषद के लिये एक प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल होगी जो धारा 43 के अधीन उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से सात दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों में से अध्यक्ष द्वारा गठित की जायेगी।
2. प्रेसीडेन्ट—इन—काउंसिल नगर पालिका परिषद की दशा में अध्यक्ष तथा सात सदस्यों और नगर पंचायत की दशा में अध्यक्ष तथा पाँच सदस्यों से मिल कर बनेगी।
3. प्रेसीडेन्ट—इन—काउंसिल के सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।
4. प्रत्येक परिषद में ऐसे विभाग होंगे जो कि, किये जाएँ और प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल के सदस्य ऐसे विभाग के जैसा कि, अध्यक्ष उचित समझे, प्रभारी बनाये जायेंगे।
5. अध्यक्ष, प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल का पदेन सभापति होगा और यदि उपस्थिति रहा हो तो प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सम्मेलन में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे।
6. इस अधिनियम के अन्तर्विष्ट किस बात के होते हुए भी प्रेसीडेन्ट—इन—काउंसिल, अध्यक्ष और सदस्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जैसे कि, विहित किया जाए।

(ख) कृत्य—

1. नगर परिषद की दशा में 25000 से अधिक किन्तु 5 लाख तक के व्यय की स्वीकृति।
2. अधिनियम की धारा 93(1) 94(1),(2), 121(1), 126, 160, 168, 168(7), 228, 235, 237, 238, 249, 253(1)(3), 255(1), 261, 262(1)(3), 263, 265, 267, 272, 273, 274 एवं 281

द्वारा परिषद में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग।

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी के क्षेत्राधिकार उपर के प्रकरण संबंधित विभाग के प्रभारी सदस्य को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए।
4. अधिनियम की धारा में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करने।

## सदस्य गण—

### प्रेसीडेन्ट—इन—काउंसिल के सदस्य

क्र.	नाम	वार्ड क्र.	पद / विभाग	पता	मोबाइल नं	रिमार्क
01	श्रीमती कुसमा अनुरागी	13	अध्यक्ष / मेयर—इन—काउंसिल	वार्ड नं. 13 लवकुशनगर	9179993121	
02	श्रीमती उर्मिला पटेल	03	उपाध्यक्ष / प्रभारी सदस्य, आवास पर्यावरण तथा लोक निर्माण	वार्ड नं. 08 लवकुशनगर	9713829173	
03	श्रीमती गायत्री दीक्षित	09	पार्षद / प्रभारी सदस्य, जलकार्य	वार्ड नं. 12 लवकुशनगर	9584805725	
04	श्रीमती पारवती अहिरवार	11	पार्षद / प्रभारी सदस्य, शिक्षा विभाग	वार्ड नं. 07 लवकुशनगर	7772972218	
05	श्रीमती नजमा खातून	12	पार्षद / प्रभारी सदस्य, मध्यान्ह भोजन	वार्ड नं. 12 लवकुशनगर	9685442244	
06	श्रीमती प्रेमा देवी यादव	13	पार्षद / प्रभारी सदस्य, भण्डार शाखा	वार्ड नं. 13 लवकुशनगर	7692879550	
07	श्री नासिर अली	—	मुख्य नगर पालिका अधिकारी / निकाय का संचालन	लवकुशनगर	9425878023	




5. कर्त्तव्य एवं दायित्व—उपरोक्त पेरा 3 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यों व कर्त्तव्यों का सम्पादन।
6. प्रेसीडेन्ट—इन—काउंसिल की बैठक की कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तिका में लेखबद्ध की जावेगी व नागरिकों को उसके निरीक्षण का नियमानुसार अधिकार हैं।
3. अधिनियम की धारा 71 के अन्तर्गत निर्वाचित पार्षदों की सलाहकार समितियों के माध्यम से विभाग से संबंधित प्रकरणों व नीतियों पर सलाह प्राप्त की जाती हैं।
4. अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत परिषद आवश्यकतानुसार अधिनियम के प्रयोजनों से संबंधित किसी भी प्रकरण में जाँच व प्रतिवेदन हेतु पार्षदों की परामशदात्री समिति गठित करने का प्रावधान हैं।
5. अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत नागरिकों की वार्ड समिति का गठन कर उनका परामर्श नीति निर्धारण व कार्य सम्पादन में सुनिश्चित किये जाने की भी व्यवस्था हैं।
6. अधिनियम की धारा 122 क के अन्तर्गत परिषद लेखाओं का सामाजिक अंकेक्षण करवाने की व्यवस्था करने के लिये अधिकृत हैं।
7. अधिनियम की धारा 325 के अन्तर्गत शासन के निर्देशों के अनुसार किसी भी विषय में आम नागरिकों की राय प्राप्त करना परिषद के लिये बन्धनकारी हैं।

## नवनिर्वाचित पार्षदों की सूची

वार्ड क्र.	नाम	पार्टी	मोबाईल नं	पता
01	श्री राजबहादुर अहिरवार	निर्दलीय	7566279121	वार्ड नं. 01 लवकुशनगर
02	श्रीमती राधा गुप्ता रामकिशोर	भारतीय जनता पार्टी	9993920970	वार्ड नं 02 लवकुशनगर
03	श्री प्रवीण कुमार प्रजापति	निर्दलीय	7898037945	वार्ड नं 03 लवकुशनगर
04	श्री रामस्वरूप खरे "बाबूजी"	निर्दलीय	8962699009	वार्ड नं 04 लवकुशनगर
05	श्री लीले रैकवार	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	9993921100	वार्ड नं 05 लवकुशनगर
06	श्रीमती रानी चौरसिया	निर्दलीय	7898345782	वार्ड नं 06 लवकुशनगर
07	श्रीमती पार्वती अहिरवार	निर्दलीय	7772972218	वार्ड नं 07 लवकुशनगर
08	श्रीमती उर्मिला पटेल	भारतीय जनता पार्टी	9713829173	वार्ड नं 08 लवकुशनगर
09	श्रीमती गायत्री दीक्षित	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	9584805725	वार्ड नं 09 लवकुशनगर

10	श्रीमती लखनकुमारी प्रजापति	भारतीय जनता पार्टी	9981934761	वार्ड नं 10 लवकुशनगर
11	श्रीमती जुवेदा खातून	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	9179800117	वार्ड नं 11 लवकुशनगर
12	श्रीमती नजमा खातून	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	9685442244	वार्ड नं 12 लवकुशनगर
13	श्रीमती प्रेमा देवी यादव	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	7692879550	वार्ड नं 13 लवकुशनगर
14	श्री कल्लू खान	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	9826234267	वार्ड नं 14 लवकुशनगर
15	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	भारतीय जनता पार्टी	9893998484	वार्ड नं 15 लवकुशनगर

कार्यालय नगर परिषद लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)



(1) सामान्य प्रशासन

- (1) सी.एम.ओ. -
- (2) लेखापाल -
- (3) रोकपाल (केशियर)-
- (4) सहा.ग्रेड-01
- (5) सहा.ग्रेड-02 - 02
- (6) सहा.ग्रेड-03 -02
- (7) भृत्य - 02
- (8) चौकीदार/सुरक्षा गार्ड -01

(2) राजस्व विभाग


- (1) राजस्व निरीक्षक -
- (2) राजस्व उप निरीक्षक -01
- (3) सहायक राजस्व निरीक्षक -04

(3) स्वच्छता / ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग

- (1) स्वच्छता निरीक्षक
- (2) स्वच्छता उप.निरी.
- (3) स्वच्छता पर्यवेक्षण -02
- (4) सफाई सरंक्षक -09

(4) लोक निर्माण विभाग

- (1) उपयंत्री -01
- (2) समयपाल -
- (3) माली -



eq[;uxj ikfydk vf/kdkjh

श्री नासिर अली (नगर परिषद लवकुशनगर)

mi;a=h

श्री गोकुल प्रसाद प्रजापति

ys[kkiky

श्री रामसजीवन पटेल (प्रभारी)

jktLo mi fujh{kd

श्री मातादीन विश्वकर्मा

lgk;d jktLo fujh{kd

श्री रामसजीवन पटेल

श्री जसरथ सौर

श्री रामपाल अहिरवार

श्री दिनेश कुमार जड़िया

lgk;d xzsM &02

श्री गया प्रसाद दीक्षित

श्री हरिओम अवरथी

Igk;d xzsM &03

श्री कपूर चन्द्र जैन

श्री मधुसूदन तिवारी

IQkbZ njksxk

श्री रामदत्त दीक्षित

श्री मूलचन्द्र चौबे

IQkbZ dkexkj

श्रीमती रामबाई

श्रीमती श्याम बार्द

श्रीमती कुसुम बाई

श्रीमती रूकमिन

श्री नाथूराम

श्री रोशन

श्री प्रहलाद

श्री ध्रुव

श्री रमेश

M<sup>a</sup>kbZoj

श्री राजू कुशवाहा

ok;jeSu

श्री रवि कुमार रैकवार

Hk`R;

श्री बाला प्रसाद सैनी

श्री मनोज कुमार मिश्रा

pkSdhnkj

श्री नाना भाई रैकवार

## **अध्याय—आठ**

अधिनियम के अंतर्गत निम्न समितियों के गठन का प्रावधान है—

1. सलाहकार समिति (धारा71)

अ.क्र.	नाम समिति	सदस्यों के नाम	योग्यता
1	2	3	4
एक	आवास पर्यावरण, लोक निर्माण, जल कार्य विभाग	सभापति- श्रीमती उर्मिला पटेल सदस्य- श्री अनिल त्रिपाठी सदस्य- श्री लीले रैकवार	5 वीं बी.ए.एल.एल.बी निरक्षर
दो	खाद्य नागरिक आपूर्ति स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग	सभापति- श्रीमती पारवती अहिरवार सदस्य- श्री रामस्वरूप खरे सदस्य- श्री कल्लू खान	8 वीं बी.ए.एल.एल.बी स्नातक
तीन	राजस्व तथा बाजार विभाग	सभापति- श्रीमती प्रेमा यादव सदस्य- श्रीमति राधा गुप्ता सदस्य- श्री राजबहादुर अहिरवार	5 वीं 5 वी एम.ए.
चार	शिक्षा, महिला तथा बाल कल्याण विभाग	सभापति- श्रीमती गायत्री दीक्षित सदस्य- श्रीमति रानी चौरसिया सदस्य- श्री प्रवीन कुमार प्रजापति	5 वीं 11 वीं एम.एस.सी.
पाँच	पुर्नवास नियोजन विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग	सभापति- श्रीमती नजमा खातून सदस्य- श्रीमती लखन कुमारी सदस्य- श्रीमती जुबेदा खातून	5 वीं 7 वीं निरक्षर



- |  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
1. लोक निर्माण, उद्यान, विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग
  2. सामान्य प्रशासन, राजस्व, वित्त एवं लेखा विभाग
  3. जलकार्य, सीवरेज, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग
  4. योजना, यातायात, परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
  5. शहरी गरीबी उपशमन विभाग
- 

कार्य—

1. संबंधित विभाग के कार्यों बाबत सुझाव देना।
2. म.प्र. नगर पालिका(सलाहकार समितियों) के कर्त्तव्य तथा उनके कामकाज के संचालन हेतु प्रक्रिया नियम 1997 में दी गई अनुसूचि में निर्दिष्ट कर्त्तव्य एवं कर्त्तव्य नियम की प्रति संलग्न की जावें।
3. कर्त्तव्यों में समाविष्ट कार्यों के लिये निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति देना व,
4. ऐसे प्रकरण मेयर इन-कौंसिल या परिषद में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देना।

## अध्याय-नौ

प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका

क्रं.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	पता	दूरभाष नम्बर
1	2	3	4	5
1	श्री नासिर अली	सी.एम.ओ.	नगर परिषद लवकुशनगर	07687-251357(0) 9425878023
2	श्री गोकुल प्रसाद प्रजापति	उपयंत्री	नगर परिषद लवकुशनगर	9165774755
2	श्री मातादीन विश्वकर्मा	स.रा.नि.	नगर परिषद लवकुशनगर	9179932424
3	श्री गया प्रसाद दीक्षित	सहा.ग्रेड-2	नगर परिषद लवकुशनगर	9425815338
4	श्री हरि ओम अवस्थी	सहा.ग्रेड-2	नगर परिषद लवकुशनगर	9424922773
5	श्री मधुसूदन तिवारी	सहा.ग्रेड-3	नगर परिषद लवकुशनगर	9179865300
6	श्री कपूर चन्द्र जैन	स.ग्रेड-03	नगर परिषद लवकुशनगर	9981552436
7	श्री मूल चन्द्र चौबे	सफाई दरोगा	नगर परिषद लवकुशनगर	9993033909
8	श्री रामदत्त दीक्षित	सफाई दरोगा	नगर परिषद लवकुशनगर	9685814092
9	श्री रामपाल अहिरवार	स.रा.नि.	नगर परिषद लवकुशनगर	8871283083
10	श्री राम सजीवन पटेल	स.रा.नि.	नगर परिषद लवकुशनगर	9893793826
11	श्री जसरथ प्रसाद सौर	स.रा.नि.	नगर परिषद लवकुशनगर	8719940808
12	श्री दिनेश कुमार जड़िया	स.रा.नि.	नगर परिषद लवकुशनगर	9926223819
13	श्री राजू कुशवाहा	ट्रेक्टर चालक	नगर परिषद लवकुशनगर	9424346712
14	श्री रवि कुमार रैकवार	वायरमैन	नगर परिषद लवकुशनगर	9977363348
15	श्री नाना भाई रैकवार	भृत्य	नगर परिषद लवकुशनगर	9993004224
16	श्री बाला प्रसाद सैनी	भृत्य	नगर परिषद लवकुशनगर	8982503625
17	श्री मनोज मिश्रा	भृत्य	नगर परिषद लवकुशनगर	9893751401
18	श्रीमती रामबाई	जनसेवक	नगर परिषद लवकुशनगर	9977624906
19	श्रीमती श्याम बाई	जनसेवक	नगर परिषद लवकुशनगर	8982186074
20	श्रीमती रूकमिन	जनसेवक	नगर परिषद लवकुशनगर	9981403406
21	श्रीमती कुसुम बाई	जनसेवक	नगर परिषद लवकुशनगर	7898537159
22	श्री नत्थू बसोर	जनसेवक	नगर परिषद लवकुशनगर	8871110231
23	श्री रमेश बाल्मीक	जनसेवक	नगर परिषद लवकुशनगर	7898355978
24	श्री प्रहलाद बाल्मीक	जनसेवक	नगर परिषद लवकुशनगर	7898029485
25	श्री ध्रुव बाल्मीक	जनसेवक	नगर परिषद लवकुशनगर	9993614197
26	श्री रोशन बाल्मीक	जनसेवक	नगर परिषद लवकुशनगर	8962695769

## अध्याय—दस

प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका

पत्रक मासिक पारिश्रामिक जो प्रत्येक अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया गया है,  
तथा उसके विनियमों में उप-बंधित क्षतिपूर्ति/मुआवजे प्रतिकर की पद्धति।

क्रं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	मासिक उपलब्धि वेतन+महंगाई	विनियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति			वेतनमान
				गृह भाड़ा	मेडीकल भत्ता	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री नासिर अली	सी.एम.ओ.	30951	467	0	467	5200-20200+2800
2	श्री गोकुल प्रसाद प्रजापति	उपयंत्री	24605	375	0	375	9300-34800+3200
2	श्री मातादीन विश्वकर्मा	रा.उ.नि.	23082	438	0	438	5200-20200+2400
3	श्री गया प्रसाद दीक्षित	सहा.ग्रेड-2	25940	405	0	405	5200-20200+2400
4	श्री हरि ओम अवस्थी	सहा.ग्रेड-2	18321	281	0	281	5200-20200+2400
5	श्री मधुसूदन तिवारी	सहा.ग्रेड-3	19443	298	0	298	5200-20200+1900
6	श्री कपूर चन्द्र जैन	स.ग्रेड-03	22777	355	0	355	5200-20200+1900
7	श्री मूल चन्द्र चौबे	सफाई दरोगा	23095	412	0	412	5200-20200+2400
8	श्री रामदत्त दीक्षित	सफाई दरोगा	26932	421	0	421	5200-20200+2100
9	श्री रामपाल अहिरवार	स.रा.नि.	23953	374	0	374	5200-20200+2100
10	श्री राम सजीवन पटेल	स.रा.नि.	26530	&	0	&	5200-20200+2400
11	श्री जसरथ प्रसाद सौर	स.रा.नि.	23010	357	0	357	5200-20200+1900
12	श्री दिनेश कुमार जड़िया	स.रा.नि.	15120	233	0	233	5200-20200+1900
13	श्री राजू कुशवाहा	ट्रेक्टर चालक	18321	281	0	281	5200-20200+1900
14	श्री रवि कुमार रैकवार	वायरमैन	11386	172	0	172	4440-7440+1300
15	श्री नाना भाई रैकवार	भृत्य	21711	338	0	338	4440-7440+1800
16	श्री बाला प्रसाद सैनी	भृत्य	19291	305	0	305	4440-7440+1400
17	श्री मनोज मिश्रा	भृत्य	12298	&	0	&	4440-7440+1300
18	श्रीमती रामबाई	जनसेवक	21191	331	0	331	4440-7440+1800
19	श्रीमती श्याम बाई	जनसेवक	21191	331	0	331	4440-7440+1800
20	श्रीमती रूकमिन	जनसेवक	21191	331	0	331	4440-7440+1800
21	श्रीमती कुसुम बाई	जनसेवक	21191	331	0	331	4440-7440+1800
22	श्री नत्थू बसोर	जनसेवक	16706	262	0	262	4440-7440+1300
23	श्री रमेश बाल्मीक	जनसेवक	15590	238	0	238	4440-7440+1300
24	श्री प्रहलाद बाल्मीक	जनसेवक	15590	238	0	238	4440-7440+1300
25	श्री ध्रुव बाल्मीक	जनसेवक	15590	238	0	238	4440-7440+1300
26	श्री रोशन बाल्मीक	जनसेवक	15590	238	0	238	4440-7440+1300

## अध्याय—ग्यारह

प्रत्येक एजेन्सी (विभाग) के लिये आवंटित बजट (आय पत्रक)

(क) आय

क्रं.	प्रमुख आय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमानित आय 16-17	चालू वर्ष के लिये मंजूरी	वास्तविक आय 13-14	वास्तविक आय 14-15	वास्तविक आय 15-16
1	2	3	4	5	6	7
क	नगर परिषद कर	4,2350009	28948155	20406994	27001719	25943385
ख	विशेष अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियां	38500	23500	558	620	23500
ग	नगर परिषद संपत्ति से और करारोपण को छोड़कर अन्य स्त्रोंतों से प्राप्त राजस्व	1355048	1233680	483533	544081	1099125
घ	अनुदान और अंशदान	46750000	69676786	18465570	20517300	22797000
ड	जलकर से प्राप्तियां	1683275	1570250	408493	453985	308625
च	बिजली से					

	प्राप्तियां					
छ	विविध	660000	1200000	84139	93488	130211
ण	असाधारण व्यय और ऋण		2600000			
	आय योग :-	<b>92836832</b>	<b>105252371</b>	<b>39849287</b>	<b>48611193</b>	<b>50301846</b>
	प्रारंभिक योग :-	—	—	—	—	—
	महायोग :-	<b>92836832</b>	<b>105252371</b>	<b>39849287</b>	<b>48611193</b>	<b>50301846</b>

क्रं.	प्रमुख आय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 16-17	वास्तविक आय 13-14	वास्तविक आय 14-15	वास्तविक आय 15-16
1	2	3	5	6	7
क	नगर पालिका दर और कर :-				
	1. गृह और भूमि पर कर	608177	205840	228656	311778
	2. वाहन और पशुओं पर कर	3000	3564	3960	
	3. पथकर	110000	582191	646880	787634
	4. वृत्ति तथा व्यवसायों पर कर	99000			
	5. चुंगी क्षतिपूर्ति	17633000	17314759	19238621	21376246
	6. संपत्ति कर	5615892	332894	369882	344972
	(क) गत वर्ष की बकायों का संग्रहण	2996962	256404	284893	256795
	(ख) विद्यमान वर्ष का संग्रहण	2618930	76490	84989	88177

7. आवेदन शुल्क				
8. संडास और मल वाहन कर	11000	12240	13600	13500
9. सार्वजनिक संडास कर	11000			
10 समेकित कर	4828648	460171	511301	436150
(क) गत वर्ष की बकायों का संग्रहाण	4214646	375319	417021	254490
(ख) विधमान वर्ष का संग्रहाण	614002	84852	94280	181660
11. जल निकास कर				
12 माल या पशुओं पर सीमाकर	423500	-	-	-
13. तीर्थयात्रियों पर कर		-	-	-
14 यात्रीकर अनुदान	1410860	702270	780300	867000
15. प्रदर्शन कर	33000			
16 उपकर			2817	3188
(क) गत वर्ष की बकायों का संग्रहाण			1689	1965
(ख) विधमान वर्ष का संग्रहाण			1128	1223
17 शिक्षा उपकर			2702	1887
योग (क) :-	<b>41231617</b>	20406994	26882719	<b>24926665</b>

क्रं.	प्रमुख आय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 16-17	वास्तविक आय 13-14	वास्तविक आय 14-15	वास्तविक आय 15-16
1	2	3	5	6	7
	योग क पूर्व पृष्ठ से	41231617	20406994	26882719	24926665
	13. माल या पशुओं पर सीमाकर				
	14. तीर्थ यात्रियों पर कर				
	15. यात्रियों पर कर (क) रेल कर				
	(ख) यात्री सीमाकर अभिदान				
	(ग) अंतर्देशीय जल मार्ग द्वारा				
	16. सुधार कर				
	17. नाट्यकला का प्रदर्शन कर				
	18. निविदा प्रपत्र कीमत				
	19. अन्य (सविस्तार उल्लेख किया जावे) 1. मंडी शुल्क	18392			16720
	2. बाजार फीस	1100000		119000	1000000
	3. निर्यात कर				
	4. वारंट फीस पर्या.				
	योग "क"	<b>42350009</b>	20406994	27001719	<b>25943385</b>
	ख - विशेष अधिनियमों के अधीन प्राप्तियां	18500	558	620	13500

1. कांजी हाउस				
2. मद्य और औशधियों की बिक्री की अनुज्ञतियों से	20000			10000
3. अन्य (सविस्तार उल्लेख किया जावें)				
योग "ख"	<b>38500</b>	<b>558</b>	<b>620</b>	<b>23500</b>
ग – नगर पालिका की संपत्ति से करारोपण को छोडकर अन्य स्त्रोंतों से प्राप्त राजस्व 1. भूमि का किराया (क) शासन द्वारा दिया गया नजूल किराया	543048	359892	399880	493680
(ख) नजूल भूमि से भिन्न अन्य भूमियों से प्राप्तियां	11000			10000
योग – "ग"	<b>554048</b>	<b>359892</b>	<b>399880</b>	<b>503680</b>
योग – "क" और "ख" अग्रेषित	<b>42388509</b>	<b>20407552</b>	<b>27002339</b>	<b>25966885</b>

प्रमुख आय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 16-17	वास्तविक आय 13-14	वास्तविक आय 14-15	वास्तविक आय 15-16
1	2	5	6	6
योग क और ख पूर्व पृष्ठ से	42388509	20407552	27002339	25966885
पूर्व पृष्ठ से योग ग	554048	359892	399880	503680
2. घर सराय और डाक बगलों का किराया	11000			10000



3. भूमि और भूमि की उपज के विकास से आय					
(क) नजूल भूमियों के विक्रय से आय					
(ख) अन्य भूमियों के विक्रय से आय					
(ग) वृक्ष,घास विक्रय से आय					
(घ) विविध मुद्रांक शुल्क	22000			20000	
4. मलवाहन से प्राप्तियां (करों और दरों को छोड़कर)	55000			50000	
5. शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त फीस और राजस्व					
(क) उच्चतर माध्यमिक					
(ख) प्राथमिक					
(ग) अन्य					
6. बाजार और पशुवध गृहों से प्राप्त फीस और राजस्व	110000	107100	119000	264000	
(क) बाजार से प्राप्त किराया बकाया					
(क) ..... सनहाल					
(ख) ..... अधिभार					
7. औषधालयों और चिकित्सकों से प्राप्त फीस और राजस्व					
(क) राज्य शासन से प्राप्त अंशदान					
1. वेतन के लिये					
2. अन्य					
(ख) स्थानीय निकायों से प्राप्त अंशदान					

(ग) जनता से प्राप्त अंशदान				
(घ) विशिष्ट प्रयोजनार्थ प्राप्त अंशदान				
(ङ) विशिष्ट प्रयोजनार्थ प्राप्त दान				
(च) औषधियों टिकिट विक्रय से आय				
(छ) दान पेटियों से प्राप्त आय				
(ज) विविध प्राप्तियां अवि.नामा.रा.का.र.मि.				
योग :- "ग" आगे	<b>752048</b>	466992	518880	847680

प्रमुख आय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 16-17	वास्तविक आय 13-14	वास्तविक आय 14-15	वास्तविक आय 15-16
1	2	4	5	6
योग क और ख पूर्व पृष्ठ से	<b>42388509</b>	20407552	27002339	25966885
पूर्व पृष्ठ से योग ग	<b>752048</b>	466992	518880	847680
8. अन्य फीस उल्लेख किया जायें	55000	8261	9179	50000
(क) मत्स्य संग्रहण लेख				
(ख) नाव फीस				
(ग) आटा चक्की के लिये अनुज्ञप्ति फीस	15000			15000
(घ) चूना ईट भट्टा स्थापित किये जाने के लिये अनुज्ञप्ति फीस				
(ङ) खाद्य और पेय विक्रय पदार्थों के विक्रय के अनुप्ति फीस				
(च) बधिकों के लिये अनुज्ञप्ति फीस				
(छ) दुकान स्थापना पंजी शुल्क				

(ज) दलाल कमीशन एजेन्ट नपाई करने वाले और तुलाई करने वालों से अनुज्ञप्ति फीस अन्य लाईसेन्स फीस				
(झ) कपडे घोंनें और स्नान करने के लिये अलग किये गये स्थानों से प्राप्तियां				
(ट) प्रतिलिपि फीस/प्रमाण पत्र फीस	110000		6822	15210
9. अस्थाई तौर से प्राप्त किराया	11000			
(क) खुली भूमि का (अस्थाई .....शुल्क)				
(ख) भवन का (विकास उपकर)	5000			
10. पट्टों पर प्रीमियम (भवन निर्माण अन्य शुल्क)	11000			
11. भवनों की विक्रय राशि(विकास शुल्क)	220000			
12. न.पा. संपत्ति को हानि पहुंचाने का प्रतिकार	11000			
13. न.पा. और अन्य अधिनियमों के अंतर्गत हुए दंड की राशि के स्थान पर शास. अनुदान/कम्पोजिशन	55000			
14. विनिधानों पर ब्याज				
(क) सामान्य				
(ख) विशेष प्रयोजनार्थ				
(ग) शैक्षणिक				
(घ) भविष्य निधि/अन्य				
15. पुराना भंडार के विक्रय के आगम	110000	8280	9200	171235
16. विष्ठा से बनाये गये कम्पोस्ट खाद आदि से विक्रय आगम				
योग – 'ग' अग्रेशित				

नगर परिषद लवकुशनगर जिला छतरपुर

नगर परिषद आय का संक्षिप्त विवरण वर्ष 2016-17

प्रमुख आय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 16-17	वास्तविक आय 13-14	वास्तविक आय 14-15	वास्तविक आय 15-16
1	2	4	5	6
योग क और ख पूर्व पृष्ठ से	42388509	20407552	27002339	25966885
पूर्व पृष्ठ ग का योग	1355048	483533	544081	1099125
घ अनुदान और अंशदान सामान्य प्रशासन और विशेष प्रयोजनार्थ (1) शासन से	24750000	16842330	18713700	20793000
(क) सडक मरम्मत अनुरक्षण	22000000	1623240	1803600	2004000
(ख) जल कष्ट आर्थिक सहायता/फायर				
(ग) राज्य वित्त आयोग अनुदान				
(घ) मुख्यमंत्री घोषणा				
(ड) ग्यारहवें वित्त आयोग अनुदान				
(च) चौदहवें वित्त आयोग अनुदान				
2. स्थानीय निकायों से				
(क) नागरिक सुविधा मद (मूलभूत सु.)				
(ख) वि.प्रयोजन के लिये आदि अधोसंरचना				
(ग) शैक्षणिक कार्यो (मध्यान्ह भोजन)				
(घ) शुष्क शौचालयों परि. कार्य				

(ड) आवास योजना				
3. अन्य स्त्रोंतो से				
(क) श्रम विभाग				
(ख) विधायक क्षेत्र वि. योजना				
(ग) आदिम जाति कल्याण अनुदान				
(घ) सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत				
योग :- घ	<b>46750000</b>	<b>18465570</b>	<b>20517300</b>	<b>22797000</b>
ड. जलकर से प्राप्तियां	1683275	373468	414965	251365
(क) जलकर (सार्वजनिक)				
(ख) जल विक्रय				
1. मीटर द्वारा सार्व. जल कर				
(ग) मीटरों का किराया अन्य शुल्क				
(घ) विधानों पर ब्याज सुरक्षा निधी		32725	36360	41560
(ड) अन्य टेंकर किराया		2300	2660	15700
योग "ड"	<b>1683275</b>	<b>408493</b>	<b>453985</b>	<b>308625</b>
योग - 'क' और 'ड' अग्रेषित	<b>92176832</b>	<b>39765148</b>	<b>48517705</b>	<b>50171635</b>

प्रमुख आय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 16-17	वास्तविक आय 13-14	वास्तविक आय 14-15	वास्तविक आय 15-16
1	2	4	5	6
योग क और ड पूर्व पृष्ठ से	<b>92176832</b>	39765148	48517705	50171635
च. बिजली से प्राप्तियां				
1. शक्ति विक्रय				

(क) मी. के द्वारा				
(ख) बिना मीटर				
2. मीटरो का किराया				
3. उत्पादन शुल्क				
4. अन्य				
योग :- च				
छ. विविध	220000	4312	4791	5324
1. प्राइवेट व्यक्तियों को दी गई सेवाओं के कारण, हडडी ठेका				
2. अन्य	440000	79827	88697	124887
(क) सार्वजनिक प्रदर्शनी और मेला, जन्म पंजीयन				
(ख) विविध फार्म रसीद बुक बिक्री मृत्यु पंजीयन				
(ग) जनश्री बीमा योजना यु.शा.हित.अ.				
(घ) अन्य				
(1) बेसेज बिक्री				
(2) अन्य आई.डी.एस.एम.टी.				
योग 'छ'	<b>660000</b>	84139	93488	<b>130211</b>
ज. असाधारण और ऋण :-				
1. शास. प्रतिभूतियों के विक्रय आगम आदि बैंक से प्रत्याहरण				
2. उधार -				
(क) राज्य शासन से उधार				
(ख) खुले बाजार से प्राप्त किये गये दुकान नीलामी राशि				
3. उधार के भुगतान हेतु ऋण निवारण निधि से प्राप्तियां				

4. अग्रिम –				
(क) स्थाई				
(ख) अन्य				
5. निक्षेप				
योग 'ज'				
कुल प्राप्तियों का योग :-				
प्रारंभिक सत्त्वक योग –				
महायोग –				

## अध्याय—ग्यारह

प्रत्येक एजेन्सी (विभाग) के लिये आवंटित बजट ( व्यय पत्रक)

(क) व्यय पत्रक

क्रं.	प्रमुख व्यय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमानित व्यय 16-17	वास्तविक व्यय 13-14	वास्तविक व्यय 14-15	वास्तविक व्यय 15-16
1	2	3	5	6	7
क	सामान्य प्रशासन और संग्रहण प्रभार 1. सामान्य प्रशासन कार्यालय की स्थापना आदि (क) कार्यालय की स्थापना और पदाधिकारियों का वेतन	9133881	2148000	4766850	4394438
ख	भत्ता				
ग	आमस्मिकता फोटोकॉपी विविध	2179883	1200000	1819125	1981712
घ	अस्थायी कर्मचारी	1017500	—	675000	925000
ड	बस स्टेण्ड प्रयोजन के लिये अर्जित की गई भूमि पर शासन को देय भू – राजस्व				
	2. राजस्व का संग्रहण (क) 1. राजस्व विभाग के कार्यालय की स्थापना तथा पदाधिकारियों का वेतन	1366200	1050000	1100000	1360000
	2. भत्ता	68365	50000	40000	60000
	3. आकस्मिकता नीलामी आदि				
	(ख) चुंगी और सीमा पर कर 1. पदा. तथा स्थापना का वेतन				
	2. परिषद का मानदेय	312000			312000



	3. आकस्मिकता				
	4. अस्थायी स्थापना				
	(ग) गृह कर				
	1. स्थापना				
	2. भत्ता				
	3. आकस्मिकता				
	(घ) अन्य कर तथा फीस				
	1. स्थापना (स्थायी, अस्थायी)				
	2. भत्ता				
	3. आकस्मिकता				
	(ङ) मार्गो एवं नौका घाटी पर पथकर का संग्रहण				
	1. स्थापना				
	2. आकस्मिकता				
	(३) भू – मापन				
	1. मापन				
	2. भत्ता				
	3. आकस्मिकता				
	योग क आगे :-				

व्यय पत्रक वर्ष 2016 – 17

क्रं.	प्रमुख व्यय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 16-17	वास्तविक आय 13-14	वास्तविक आय 14-15	वास्तविक आय 15-16
1	2	3	5	6	7

	पिछला योग – 'क'				
	4. वापसियों				
	(1) आक्ट्राय की वापसियां				
	(2) अन्य वापसियां (सुरक्षा निधि)				
	5. पेंशन तथा उपदान				
	(-)				
	योग 'क' :-				
	6. सार्वजनिक सुरक्षा	1386158	450000	259875	1260144
	1. अग्नि				
	(क) स्थापना – स्थायी और अस्थायी				
	(1) भत्ता	110000	90000	100000	100000
	(2) आकस्मिकता और अन्य प्रभार (अग्निशामक एंजिट, वाल्टी क्रय और मरम्मत फायर वाहन क्रय आदि)	691491			628629
	2. प्रकाश	290400	240000	250000	264000
	(1) स्थापना				
	(2) सामग्री का क्रय (लेम्प, तेल, बल्ब, उपकरण, मरम्मत आदि)	6576900	5000000	6050000	5979000
	(3) विधुत प्रवाह का खर्च	1179750	960000	1078000	1072500
	(4) नये विधुत पोल स्था. उपकरण क्रय	5500000		5100000	5000000
	3. वाहन किराया				
	4. विविध	1320000	1000000	1150000	1200000
	1. लेखन सामग्री क्रय/मुद्रण/स्टेशनरी				

	2. विज्ञापन कार्यालयीन कार्य	100000	75000	88000	90000
	3. विज्ञापन अन्य				
	योग :- 'ख'				
	योग :- 'क' और 'ख'				

व्यय पत्रक वर्ष 2016 – 17

प्रमुख व्यय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 16-17	वास्तविक व्यय 13-14	वास्तविक व्यय 14-15	वास्तविक व्यय 15-16
2	3	5	6	7
पिछला योग – 'क' और 'ख'				
ग – जन स्वास्थ्य एवं सुविधायें	11000000			100000
1. जल प्रदाय –				
(क) स्थापना और संधारण				
1. स्थापना वेतन (नियमित कर्म.)	291773			265248
2. आकस्मिकता अस्थायी कर्म.	98208	550000	680000	89280
3. मरम्मत और संधारण (उपकरण)	968000	550000	800000	880000
(ख) नये कार्यों का व्यय (पूँजी व्यय) बोर खनन कार्य एवं स्था.	1000000			500000
(ग) कुंओ और जलाशयों का निर्माण तथा मरम्मत हैण्ड पंप सहित				
(घ) जल प्रदाय गृह के प्रयोजन के लिये अर्जित की गई भूमि के लिये राज्य शासन को				

देय भू- राजस्व (जल उपकर) कुआ सफाई				
(ड) आर.सी.सी. ओमर हैड टैंक निर्माण संधा.				
(च) ऋण का प्रतिदान -				
1. मूल धन का प्रतिदान, टैंकर भराई				
2. ब्याज टैंकर परिवहन				
3. टैंकर एवं अन्य उपकरण				
(2) जल निस्तारण -				
(क) स्थापना और संधारण -				
1. स्थापना				
2. आकस्मिकता				
3. मरम्मत और संधारण	754002			685456
4. अन्य प्रभार	550000			500000
5. मल वाहन की व्यवस्था	550000			500000
(ख) नवीन कार्य -				
पूँजीगत व्यय (नाला सफाई कार्य)				
(ग) अवक्षयण निधि				
(घ) ऋण का प्रतिदान				
1. मूलधनका प्रतिदान				
2. ब्याज				
3. ऋण निवारण निधि का भुगतान				
<b>योग - ग आगे</b>				
<b>योग "क" और "ख"</b>				

व्यय पत्रक वर्ष 2016 – 17

प्रमुख व्यय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 16-17	वास्तविक व्यय 13-14	वास्तविक व्यय 14-15	वास्तविक व्यय 15-16
2	3	5	6	7
योग – क और ख				
योग – ग से आगे				
3. मलवाहन और संडास (सडक, सिंचाई और सफाई सहित)	1359072			1235520
(क) स्वास्थ्य अधिकारी की स्थापना आकस्मिकता				
(ख) 1. सार्वजनिक संडासों के लिये स्थायी स्थापना				
2. सार्वजनिक संडासों के लिये मरम्मत				
3. सार्वजनिक संडासों की मरम्मत	990000			900000
4. सार्वजनिक संडासों पर विविध प्रभार	71170			64700
5. सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	1523500	300000	350000	1385000
(ग) निजी संडास –				
1. निजी व्यक्तिगत शौचालय की स्थापना				
2. निजी शौचालयों का पर विविध प्रभार	2750000			2500000
3. वापिसी पर विविध प्रभार				
(घ) सडक सफाई –	583545	2000000	2300000	530496
1. स्थापना वेतन स्थायी कर्मचारी				
2. अस्थाई कर्मचारी	435600	300000	360000	396000
3. कचरा घरों की स्थापना और मरम्मत	169400	100000	140000	154000

4. विविध झाड़ू डालियां				
(ड) सडक सिंचाई	580800	400000	480000	528000
(1) स्थापना				
1. अस्थाई स्थापना वाहन भाडा				
2. आकस्मिकता				
3. अन्य प्रभार (सफाई उपकरण)				
(4) औषधालय और चिकित्सालय				
(क) स्थापना				
(ख) औषधियों और उपकरण				
(ग) विविध प्रभार रोगियों के आहार सहित				
(5) संक्रामक प्रकार (कीटनाशक क्रय)	568700	470000	400000	517000
योग :- "ग" आगे				
योग - "क" और "ख"				

व्यय पत्रक वर्ष 2015 – 17

क्रं.	प्रमुख व्यय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 16-17	वास्तविक व्यय 13-14	वास्तविक व्यय 14-15	वास्तविक व्यय 15-16
1	2	3	5	6	7
	योग :- 'क' और 'ख'				
	योग :- 'ग'				
	6. टीका				
	(क) स्थापना				
	(2) आकस्मिकता				
	7. बाजार और पशुवध गृह				
	(क) स्थापना				
	(ख) आकस्मिकता				
	(ग) भवनों का निर्माण सा.का.स.मा.				
	(घ) भवनों की मरम्मत				
	8. कांजी हाउस				
	(क) स्थापना				
	(ख) आकस्मिकता	145200		120000	132000
	(ग) कांजी हाउस का निर्माण एवं मरम्मत	15125	11250	12500	13750
	(घ) वापसियों				
	9. डाक बंगला, सराय, होटलों और विश्राम गृह				
	(क) स्थापना				

	(ख) आकस्मिकता				
	(ग) निर्माण एवं मरम्मत				
	(घ) विविध				
	10. वृक्ष वधन सार्वजनिक उद्यान वाटिका खुले मैदान मवेशी बाजार ग्राउन्ड				
	(क) स्थापना कमानिया गेट रखरखाव				
	(ख) अन्य प्रभार (फुहारा रखरखाव)				
	(ग) पार्क एवं स्टेडियम				
	11. तैरने के जलाशय, स्नानगर और सार्वजनिक कपडे धोने के स्थान				
	12. सामाजिक कल्याणकारी कार्यकालप प्रचार प्रसार कार्य पर				
	13. पशु चिकित्सा प्रभार –				
	(क) स्थापना				
	(ख) अन्य प्रभार				
	14. जन्म मृत्यु और विवाह का पंजीयन				
	<b>योग :- 'ग' आगे</b>				



व्यय पत्रक वर्ष 2016 – 17

प्रमुख व्यय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 16-17	वास्तविक व्यय 13-14	वास्तविक व्यय 14-15	वास्तविक व्यय 15-16
1	2	4	5	6
योग – क एवं ख				
योग – ग				
घ. लोक निर्माण	472349	313038	347820	429408
(क) स्थापना कर्म. वेतन भत्ता				
(ख) भवन	6666000	300000	324000	6060000
1. निर्माण				
2. मरम्मत	330000	250000	270000	300000
(ग) रास्ते सडके और नालियां –	2200000	1500000	1710000	2000000
1. नये रास्ते सडकों और नालियों का निर्माण	41690000	0		37900000
2. मरम्मत और नवीनीकरण	10601800	500000	522000	9638000
(घ) अन्य शुलभ शौचालय				
(ड) अन्य कार्य	5500000			5000000
(च) भंडार और अन्य प्रभार विविध कार्य				
(द) मूर्ति स्थापना/निर्माण				
योग – 'घ'				
(ड) सार्वजनिक शिक्षा –	148500	1100000	1125000	1350000
1. प्राथमिक शालाये –				
(क) स्थापना				

(ख) मध्यान्ह भोजन				
(ग) निर्माण और मरम्मत				
(घ) भवनों का किराया				
2. बाल सदन शिशु मंदिर आदि				
(क) स्थापना				
(ख) उपकरण और आकस्मिकता				
(ग) निर्माण और मरम्मत				
(घ) भवनों का किराया				
3. उच्चतर माध्यमिक और अन्य शिक्षा				
(क) स्थापना				
(ख) उपकरण और आकस्मिकता				
(ग) निर्माण और मरम्मत				
(घ) भवनों/भूमि का किराया				
1. पुस्तकालय वाचनालय, म्युजियम आदि				
(क) स्थापना				
(ख) आकस्मिकता समाचार पत्र				
(ग) अंशदान				
योग - 'ड' आगे				

**व्यय पत्रक वर्ष 2016 – 17**

प्रमुख व्यय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 16-17	वास्तविक व्यय 13-14	वास्तविक व्यय 14-15	वास्तविक व्यय 15-16
1	2	4	5	6
योग – क और ड				
पिछला योग – ड				
च. अंशदान और अनुदान				
(क) शास.शालाओ कालेजों और होस्टल आदि के लिये अंशदान				
(ख) सेवा निवृत्त शाला शिक्षकों के वेतन के लिये अंशदान				
योग – ड				
(च) अंशदान (सामान्य प्रयोजन के लिये)				
योग – च				
(छ) विविध				
1. उधार का प्रतिदान (जल प्रदाय के लिये गये) उधारो को छोडकर				
(क) मूलधन का प्रतिदान				
(ख) सर्विस टैक्स उपकर				
2. ट्रैक्टर ट्राली, टेंकर रखरखाव मरम्मत				
3. प्रायवेट व्यक्तियों के लिये किये गये काम का वास्तविक व्यय डीजल आइल क्रय				
4. सार्वजनिक प्रदर्शनी मेलें	440000	150000	250000	400000

5. कानूनी प्रभार	145200	100000	108000	132000
6. भविष्य निधि में अंशदान पेंशन उपादान तथा अनुकंपा भत्ता वेतन अवशेष राशि				
7. टेलीफोन ट्रंक काल	90750	50000	67500	82500
8. कम्प्यूटर क्रय मरम्मत				
9. अन्य –	701800			701800
(क) डाकटिकिट आदि पर व्यय	20000			18000
(ख) बैंक कलेक्शन चार्ज				
(ग) राष्ट्रीय पर्वो पर व्यय				
(घ) वृक्षारोपण कार्य				
(ङ) विविध आयोजनों पर				
(च) निर्वाचन पर व्यय/अन्य व्यय				
<b>योग छ :-</b>				

व्यय पत्रक वर्ष 2016 – 17

प्रमुख व्यय शीर्ष	आगामी वर्ष के अनुमान 16-17	वास्तविक व्यय 13-14	वास्तविक व्यय 14-15	वास्तविक व्यय 15-16
1	2	4	5	6
योग – क और छ				
ज. असाधारण तथा ऋण :-				
1. विनियान :-				
(क) प्रतिभूतियों में (ऋण निवारण निधि को छोड़कर)				
(ख) सावधि निक्षेप				
(ग) बचत बैंक				
2. ऋण निवारण निधि का भुगतान ब्याज	2501808	2422000	2457000	2274371
3. अग्रिम :-	48745			44314
(क) स्थायी				
(ख) अन्य				
4. निक्षेप				
5. विविध व्यय				
योग 'ज' :-				
व्यय का योग :-				
अंतिम शेष :-				
संचित निधि :-				
महायोग :-				

**अध्याय— ग्यारह**  
**स्वीकृत कार्य एवं योजनाएं**  
**(ख)**

अ. क्रं.	योजना या कार्य का नाम	कुल प्राक्कलन लाख	कुल स्वीकृत राशि लाख	व्यय
1	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.योजना	-	-	-
2	आई.एच.एस.डी.पी.	-	-	-
3	मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना	-	-	-
4	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण 1178 नग	16020800 /—	16020800 /—	-
5	सामुदायिक शौचालय	1900000 /—	1900000 /—	1300000 /—
6	मुख्य मंत्री शहरी पेयजल योजना	1374.23 लाख	1374.23 लाख	-

## अध्याय—बारह

अनुदान के परियोजना (प्रोग्रामों) के क्रियान्वयन की रीति और आवंटित राशि व्यय एवं हितग्राहियों की संख्या

अ. क्र.	परियोजना का नाम	हितग्राहियों के चयन का आधार	प्रशासनिक विभाग	वर्ष 2015-16	प्राप्त आवंटन	व्यय	हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	नॉन बीपीएल	नगर परिषद लवकुशनगर	2015-16	20000	—	4
2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	बीपीएल	नगर परिषद लवकुशनगर	2015-16	115000	—	6

## अध्याय—तेरह

प्राधिकारी द्वारा दी गई रियायतों सुविधाओं अनुदानों या मंजूर किए गए प्राधिकारों के प्राप्त कर्त्ताओं की सूची

### 1:— सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों का विवरण

क्रमांक	योजना का नाम	नगर परिषद लवकुशनगर		कुल योग	
		हितग्राही संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
1	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	209	31350.00	209	31350.00
2	राष्ट्रीय इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन (60-64)	84	17000.00	84	17000.00
3	राष्ट्रीय इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन (65-79)	343	94600.00	343	94600.00
4	राष्ट्रीय इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन (80 से अधिक)	152	76000.00	152	76000.00
5	राष्ट्रीय इंदिरा गांधी विधवा पेंशन	256	76800.00	256	76800.00
6	राष्ट्रीय इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन	15	4500.00	15	4500.00
7	मानसिक बहुबिकलांग/मंदबुद्धि	32	16000.00	32	16000.00
8	कन्या अभिभावक पेंशन	8	4000.00	8	4000.00
<b>Total-</b>		<b>1099</b>	<b>320250.00</b>	<b>1099</b>	<b>320250.00</b>

नोट:— समग्र की बेवसाईट <https://samagra.gov.in/> पर जाकर समग्र पेंशन पोर्टल की पांचवी लिंक पर पेंशन हितग्राहियों की सूची देखी एवं डाउनलोड की जा सकती हैं ।

### 2. बी.पी.एल./ए.ए.वाय कार्ड धारक

क्रमांक	योजना का नाम	परिवार संख्या	सदस्य संख्या	रिमार्क
01	बी.पी.एल. कार्ड	1285	7297	
02	ए.ए.वाय.	661	3730	—

नोट:— समग्र की बेवसाईट <https://samagra.gov.in/> पर जाकर बी.पी.एल. परिवार पंजी की चौथी लिंक बी.पी.एल./ए.ए.वाय रजिस्टर से बी.पी.एल. हितग्राहियों की सूची देखी एवं डाउनलोड की जा सकती हैं ।



### 3. हितग्राही मूलक योजनायें :-

सरल क्रमांक	निकाय का नाम	योजना का नाम	पूर्व से चयनित हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4
1	नगर परिषद लवकुशनगर	मुख्यमंत्री पथ विक्रय योजना	160
2		मुख्यमंत्री साइकिल रिकशा / हाथटेला चालक योजना	91
3		मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला योजना	65
5		म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल योजना	328
6		केश शिल्पी कल्याण योजना	60
<b>कुल योग:-</b>			<b>704</b>

नोट:- समग्र की बेवसाईट <https://samagra.gov.in/> पर जाकर समग्र श्रमिक की दूसरी लिंक समस्त श्रमिकों की सांख्यिकी एवं सूची देखी एवं डाउनलोड की जा सकती हैं ।

### नोट:-

इस शिर्ष में नगर पालिका द्वारा किसी दुर्घटना, आग-बाढ, आदि से प्रभावित व्यक्ति को दी गई सहायता, संस्था को दिये गये अनुदान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था आदि की जानकारी दी जाना है।

## अध्याय-चौदह

नगर पालिका के पास प्राप्त या धारित इलेक्ट्रानिक फार्म में सूचना के बारे में विवरण

अ.क्र.	वर्ग	हार्ड कापी	इलेक्ट्रानिक फार्म
1	2	3	4
1.	कर्मचारियों/अधिकारियों का विवरण	निर्माण फार्म नामांतरण फार्म जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र राष्ट्रीय परिवार सहायता	शौचालय फार्म सूचना का अधिकार आवेदन गरीबी रेखा आवेदन

## अध्याय— पन्द्रह

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिये प्रारम्भ सुविधाएँ

अ.क्र.	सुविधा	प्रभारी का नाम	सूचना प्राप्ति का समय	टेलिफोन नंबर
1	2	3	4	5
1	आवक-जावक शाखा	श्री रवि कुमार रैकवार (वायरमैन)	11 से 05	07687-251357 9977363348

1. पुस्तकालय
2. सूचना केन्द्र
3. सूचना काउंटर
4. अन्य माध्यम-विज्ञापन/पेम्पलेट/नोटिस बोर्ड आदि

## अध्याय—सोलह

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य

अ. क्र.	नाम	पदनाम	टेलीफोन नंबर	ई-मेल पता	कार्यालय पता	मिलने का समय
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री नासिर अली	मु.न.पा. अधि. लोक सूचना अधिकारी	9425878023	Cmolodi@mpurban.gov.in	नगर परिषद लवकुशनगर	10:30 से 05 तक
2	श्री गोकुल प्रसाद प्रजापति	उपयंत्री सहायक लोक सूचना अधिकारी	9165774755	Cmolodi@mpurban.gov.in	नगर परिषद लवकुशनगर	10:30 से 05 तक
3	श्री मधुसूदन तिवारी	स.ग्रेड-03	9179865300	Cmolodi@mpurban.gov.in	नगर परिषद लवकुशनगर	10:30 से 05 तक

नोट:—लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी दोनों की जानकारी दी जावे

## अध्याय—सत्रह

### अन्य सूचनाएँ

#### धारा 4 (1) (बी) (सत्रह)

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी नागरिक नगर पालिका परिषद द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र का फार्म सूचना अधिकारी से निःशुल्क/सशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी। आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। अधिनियम 2005 की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाही गई सूचना/अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी।
2. नगर पालिका के नीतिगत विनिश्चयों, नगरीय निकाय योजनाओं एवं लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा प्रशासनिक सुधार के लिये नागरिकों के रचनात्मक प्रस्ताव एवं सुझाव की वांछना करना है, व नागरिक लोक सूचना अधिकारी के पास रखी सुझाव पुस्तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है, या लिखित में दे सकता है।
3. नगर पालिका परिषद प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल एवं समितियों की बैठक के कार्यवृत्त आम नागरिकों की जानकारी व अवलोकन हेतु नगर पालिका कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित किये जाते हैं, व उनका निःशुल्क निरीक्षण कर सकेंगे।
4. नगर पालिका के करों से संबंधित ऐसेसमेंट व डिमांड रजिस्टर का कम्प्यूटाइज्ड करने का प्रयास किया जायेगा व अन्य ऐसे इलेक्ट्रानिक साधनों की व्यवस्था भविष्य में की जावेगी, जिससे नागरिकगण सूचना के अधिकार के अंतर्गत त्वरित व सुगमता से जानकारी प्राप्त कर सकें।
5. नगर पालिका ने नागरिकों के कार्यों हेतु सीटीजन चार्टर का प्रकाशन किया है। नागरिकों से अनुरोध है कि, वे अपने कार्य भवन निर्माण, नल कनेक्शन, सफाई, प्रकाश, करों आदि के आवेदन निर्धारित प्रारूप, वांछित अभिलेखों व फीस के साथ प्रस्तुत करें। जिससे उनके आवेदन निर्धारित समय-सीमा में निराकृत हो सकें।



